in indicated by the Government from time to time.

Brahmaputra Board

2460. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) when the Brahmaputra Board was set up and with what objectives;

(b) whether the work so far done by the Board has been satisfactory, and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WATEP RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) to (c) The Brahmaputra Board was set up in December 1981 for planning and integrated implementation of measures for the control of floods and bank erosion in the Brahmaputra Valley and for matters connected therewith.

The main works carried out are:—

(i) Hydro-meteorological investigations (continuing).

(ii) Investigations and surveys for formulation of Project Reports. The projects of the Subansiri and Dihang Multipurpose Projects and Pagladiya Detention Dam Project have been prepared by the Board.

(iii) The draft Master Plan for the main stem of the Brahmaputra river has been prepared and circulated among all the States and authorities concerned.

उचित दर की दुकान के पते में परिवर्तन

2461. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उचित दर की कुछ दुकानों के मालिकों ने, जिन्हें कि गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन दिल्ली के उचित दर की दुकानें आवंटित की गई हैं, अपने पतों में परिवर्तन कर लिया है तथा खाद्य निरीक्षकों से सांठगांठ करके 10 फुट चौड़ी गली में अपनी दुकानें चला रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के उचित दर दुकानों के मालिकों की संख्या कितनी है और क्या नियमों का उल्लंघन करने के लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं । दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उचित दर की दुकान के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र तभी जारी किए जाते हैं, जब आवेदक, क्षेत्र, वहां तक पहुंच मार्ग, कानूनी स्वामित्व तथा खाद्य के भण्डारण के लिए विभागीय नीति में निर्धारित उपयुक्तता संबंधी अपेक्षाएं पूरी करता हो। उचित दर की दुकान के स्थान परिवर्तन के आवेदनों को भी तभी अनुमोदित किया जाता है जब वे उपर्युक्त अपेक्षाएं पूरी करते हों । तथापि, कुछ मामलों में, जनहित में छूट दी जाती है, यदि उस इलाके में, जैसे पुरानी दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में, उचित किराये पर उपयुक्त दुकान उपलब्ध न हो ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।